

| | | |
|----------------|---------------------------------------|--|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|----------------|---------------------------------------|--|

10/11/25 फावली, चेरा हुई। बहुलाप करिकेन उपरिष्ण। नहस ११० फा के परियेहय मे फावली का अवपोकन किया गया। धारा - २१२ RT Act ४.W.O. ११ R132 CPC के प्राप्न को adjudicate करने के लिये इसे निम्न तीन विन्दुओं पर व्यंजना आवश्यक होगा।

(क) प्रकरण प्रथम दृष्ट्या :- वर्तमान मामला संवत् संवत् २०१५-१७ के अनुसार वाडवस्त भूमि खाना संवत् २१७ किता ५ रकबा ३.०७३१ हेक्टेर प्राचीनगण एष ०६ अन्य व्यक्तियों की सह-खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं जिसमें प्राचीनगण का हिस्सा मज 1/4 (1/2-1/2 x 3) दर्ज रिकार्ड है। शेष 3/4 भाग के सह-खातेदारी की अप्राधी क्रम ६ से ११ के रूप में पक्षगत बनाया गया है। अभी अप्राधी १ से ३ भी प्राचीनगण के रिकार्ड सहखातेदार एवीकार किया गया है। अप्राधी क्रम १ से ३ ने वाडवस्त भूमि को क़य करने के संबंध में कोई भी registered document चेरा नहीं किया है अतः Recorded Khatedar tenants होने से अप्राधी १ से ३ के विरुद्ध प्रकरण प्रथम दृष्ट्या प्राचीनगण के पक्ष में एवं अप्राधी क्रम ६ से ११ के विरुद्ध प्रकरण प्रथम दृष्ट्या प्राचीनगण के पक्ष में साबित नहीं है।

(ख) सुविधा का संतुलन :- अभी प्राचीनगण का कथन है कि रिकार्ड खातेदार प्राचीनगण के हिस्से अप्राधी क्रम १ से ५ को करीब १-१० वर्ष पूर्व खेती हेतु पांती पर दिया गया था लेकिन कुछ समय तक अप्राधी क्रम १ से ५ ने पांती देने के बाद पांती की राशी की देना बंद कर दिया और फिर कब्जा करने से ही मना कर दिया। अप्राधी १ से ५ द्वारा बार-बार लडाई झगडा करने एवं बलपूर्वक कब्जा नहीं करने की प्राचीनगण द्वारा पुलिस अधीक्षक, जालावाड के यहाँ जून २०१३ में परिवाद भी दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अप्राधी के द्वारा प्राचीनगण के हिस्से की भूमि को खुरदुई कर मजान/बारी में



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

नम
अदल
हुकम
ध

प्रकरण निर्माता को अधिकारी को समाप्त करने पर उनके सरकाण के लिये सर्वसाई निषेधाता से पावंड किया जाना आवश्यक है।

आमो अप्राचीन क्रम 1 से 3 में उक्त बहल का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि वासग्रन्त प्राचीन में से प्राचीन का हिस्सा हमने प्राचीन के पिता रामलाल मेहर से लिये है वंचन इफरार दिनांक 11/6/1986 को रूपे 1200/- के प्रतिफल में क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था और तनी से राजी करीब 40 वर्षों से लगातार एवं अखंडित कब्जाकाशत में चले आ रहे हैं। मृत्यु रामलाल मेहर ने अपने जीवनकाल में कभी कोई अन्ति पेश नही की और ना ही कब्जे को objection किया लेकिन प्राचीन के मन में बैडमानी आने से, अब अब पूरी भूमि पर मकान बन कर पूरी बस्ती बस चुकी है, यह बैडमाली का खत लपेटे हैं। प्राचीन का कमी भी ना तो कब्जाकाशत रहा है और ना ही भूमि पंती (बंदाई) पर दी। भूमि कमी से बस्तियां बसने से कृषि योग्य नहीं है। प्राचीन ने बंदाई (पंती) पर देने का एक भी साह्य (एपेंडिच्यु पेश नही किया है। अप्राचीन से लोक सेवक (राज्य कामकी) द्वारा official capacity में बनाई गई मौका रिपोर्ट दिनांक 21/07/2023 पेश का है जिसमें वासग्रन्त भूमि में से खानो 595 पर प्राचीन का ड्यु हिस्सानुसार कब्जाकाशत होगा एवं प्राचीन द्वारा सोपाबीन की फसल बोना अंकित है जबकि शीत तीनी खसरा नम्बरान पर अप्राचीन क्रम 1 से 5 का करीब कब्जाकाशत होना एवं सोपाबीन व उडंड की फसल बोना अंकित है। अप्राचीन 1 से 5 का कब्जा

अ.र

21
व



करीब 25-30 वर्षों से होना अंकित है अर्थात्
करीब लन् 1995-200 से । उक्त भूमि पर
अप्रार्थी क्रम 2 व 4 के करीब 08-09 वर्ष पुराने
मकान बने होना अंकित है । साथ में ही
मांगीलाल पिता गोपीलाल बागरी द्वारा 25x30 वर्ग
फीट पर मकान की नींव बनना भी अंकित है ।

अप्रार्थी 1 से 5 द्वारा पेश उक्तपत्र के stamp
paper पर हुए बैंचान इकरार की फोटो कॉपी के
(अप्रार्थी) अनलोकन से रामलाल पिता नारायण मेहर
द्वारा कोई देवरा वाला खेत में ले उक्त 1/2 हिस्सा
डिगंड 11/6/1986 को 1000 रुपये में गंगाराम पिता
अमरा बागरी को रहन (mortgage) रखने का अंकन
है । अतः जाहिर है कि प्राचीनता ने पिता ने
अप्रार्थी 1 से 5 के पिता को कोई देवरा वाला
खेत हिस्सा 1/2 गिरवी (रहन) रखा था । कोई
ग्राम, खसरा नम्बर, खता नं०, रकबा मांड का
अंकन नहीं है । यह स्पष्टतः कोई बैंचान या बैंचान

इकरार (sale deed or sale agreement) नहीं
है । AS per section 43(2) of the Rajasthan

Tenancy Act 1955, ST/SC का कोई भी जाति
अपनी भूमि में अपने हिस्से (interest or right)
को max five years के लिए mortgage (रहन)
कर सकता है । 05 वर्षों के बाद वह भूमि
स्वतः ही रहनमुक्त व भार मुक्त मानी जावेगी (The
mortgage amount shall be ~~deemed~~ deemed to
be paid off by the usufruct of the property
within a specified time not exceeding five years)

अतः स्पष्ट है कि प्राचीनता के पत्र
का उक्त हिस्सा यदि रहन (गिरवी) रखा मान
लिया जावे तो भी सन् 1986 से 05 वर्षों की



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहम
हुक्म
में

यानी एग 1991-92 सी एगनः ही रहनसुकर
 (mortgage free) ही गया था। इले बाद
 की कोई registered Sale deed or mortgage
 या अन्य transfer deed पेश नहीं की है।
 ऐसे registered or unregistered documents
 के अभाव में अप्राचीण का प्राचीण के
 हिले पर कब्जा (possession), अले ही 25-
 30 वर्षों से ले, अवैध (illegal) माना
 जायेगा और इलाक़े ऐसे अवैध कब्जाधार
 की आतिक्रमी (trespasser) [u/s 183 or 183B
 RT Act] माना जायेगा और वेदखली (ejectment)
 योग्य होगी। अतः प्रकरण में सुविधा
 का संतुलन भी प्राचीण के पक्ष में
 साबित है।

(स) अपूरणीय शर्त :- प्रकरण में अप्राची
 कम 1 से 5 विगत अनेकों वर्षों से आतिक्रमी
 (अवैध कब्जाधार) के रूप में काबिज
 है और प्राचीण के हक व अधिकारी
 का हनन कर रहा है जिससे प्राचीण के
 वर्षों से अपूरणीय शर्त कारित हो रही है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण
 के आधार पर प्राचीण का प्रोप्टर फ़ारसीक
 रूप से लीकर किया जाकर ग्राम फतेहाद
 की बंडवस्त माराजी में प्राचीण का हिल्ला
 $3 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ पर से अवैध कब्जा हौसनी एवं
 फिर प्राचीण के व्यवकाश में वसूल नहीं
 देने हेतु अप्राचीण 1 से 5 को तौफ़समाभूजवास
 अर्थात् निषेधात्ता से पाबंद किया जाता है।



5

हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

प्रावली कंसलेशुभा(होकर नम्बर से कम होकर
रूपवास के साथ संपन्न हो ।



[Signature]
10/11/3—
उपखण्ड अधिकारी
पिठाम्पा, जिला इन्दौर (म.प्र.)